आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

आदेश

विविध वाद संख्या– 27/2018–19

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

शिवनंदन ठाकुर ..... प्रथम पक्ष

बनाम्

महादेव यादव वगैरह .....द्वितीय पक्ष

01.11.2018 यह प्रकिया आवेदक शिवनंदन ठाकुर पिता– स्व0 रामकेश्वर ठाकुर, ग्राम– पचमों, पो0– पचमों, थाना– हरिहरगंज, जिला– पलामू ने 1. महादेव यादव पिता– स्व0 जगदेव यादव, 2. उपेन्द्र यादव, 3. सत्येन्द्र यादव, 4. चँदर यादव तीनो के पिता– महादेव यादव, ग्राम– पचमों, पो0– पचामों, थाना– हरिहरगंज, जिला– पलामू के विरूद्ध धारा 144 दं0प्र0सं0 अंतर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया था जिसे इस कार्यालय के ज्ञापांक 724 दिनांक 19.07.2018 के द्वारा थाना प्रभारी, हरिहरगंज से जाँच प्रतिवेदन कि मांग की गई। थाना प्रभारी, हरिहरगंज ने डी0 आर0 नं0– 720/18 दिनांक 19.08.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किये हैं। जाँच प्रतिवेदन में विवाद को देखते हुए एवं शांति– व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 दं0प्र0सं0 लगाने की अनुशंसा किया गया है। विवादी भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:– मौजा– पचमों, खाता सं0– 45, प्लॉट सं0– 305, रकबा– 0.10 ए0

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी सहित
1	2	
	चौहद्दी उतर– नीज प्रथम पक्ष, दक्षिण– ग्रामिण सड़क, पूरब– नीज प्रथम पक्ष, पश्चिम– नीज प्रथम पक्ष एवं रास्ता के लिए विवादी भूमि के ऊपर धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रकिया कायम कर उभय पक्षों को विवादी भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गई। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थि हुए एवं प्रथम पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि विवादी भूमि प्रथम पक्ष के पिता को निबंधित केवाला सं0– 7370 दिनांक– 23.09.1966 से प्राप्त है। विपक्षी के द्वारा विवादित भूमि पर सक्षम न्यायालय में ओरिजनल सूट सं0– 33/17 विचाराधिन है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुना। अभिलेख में संलग्न प्रथम पक्ष के कारण पृच्छा का अवलोकन किया। अवलोन से ज्ञात होता है कि वाद भूमि से संबंधित मामला सक्षम न्यायालय में विचाराधिन है ऐसि स्थिति में इस न्यायालय के द्वारा इस वाद में कोई भी आदेश पारित करना न्यायहित में नहीं है। अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित** 1.11.18 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)। 1.11.18 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।	

Digitally signed by ASHISH GANGWAR
Date: 2025.01.29 14:01:20 +05:30
Location: 192.168.1.13